रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 844] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2018/अग्रहायण 8, 1940
No. 844] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2018/AGRAHAYANA 8, 1940

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1151(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 को और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार, के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 416(अ), तारीख 2 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किये गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त प्रारूप नियमों से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा साम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम1989, को और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 115क के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"115-कक संपीडित प्राकृतिक गैस या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस या तरल प्राकृतिक गैस ईंजन के साथ दुहरे ईंधन डीज़ल द्वारा चालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों से धुआं और वाष्प का उत्सर्जन.- (1) डीज़ल इंजनों का उपयोग करके दुहरे ईंधन और संपीडित प्राकृतिक गैस (इसमें इसके पश्चात सी एन जी के रूप में उल्लिखित), जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस (इसमें इसके पश्चात बायो-सीएनजी के रूप में उल्लिखित) या तरल प्राकृतिक गैस (इसमें इसके पश्चात एलएनजी के रूप में उल्लिखित) में से किसी ईंधन में विनिर्मित या परिवर्तित प्रयोगरत डीजल इंजन ओ ई द्वारा चालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों के मामले में डीज़ल मोड के लिए प्रचलित द्रव्यमान उत्सर्जन मानदंड टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरुपता (सीओपी) हेतु सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनपी के लिए भी अनुप्रयोज्य होंगे।"

(2) उत्सर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाले सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी संयोजन प्रयोज्य कानून के अंतर्गत समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित ईंधन विनिर्देशों का अनुपालन करेंगे:

परंतु यह तब जबकि उस समय तक टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरुपता के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक सीएनजी या बायो-सीएनजी को उपयोग किया जाएगा तथा एलएनजी के मामले में टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरुपता के प्रयोजनार्थ अनुलग्नक IV-एल ए में यथा प्रदत्त अपेक्षाओं के अनुरुप ईंधन का उपयोग किया जाएगा।

(3) मूल उपस्कर विनिर्माता या रिट्रोफिटर द्वारा अनुलग्नक IX, एआइएस-024 और एआइएस-028(*आरईवी. 1*) में समय-समय पर यथा-संशोधित विनिर्धारित सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं और वाहन या इंजन एवं इसके किट घटकों के लिए संव्यवहार संहिता का अनुपालन किया जाएगा।

(4) कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों के सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी (हाईड्रोकार्बन) नियम 115 क में यथा वर्णित मापन आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और दोहरे ईंधन इंजन के लिए परीक्षण अनुप्रयोज्यता गैर ऊर्जा अनुपात (जीईआर), प्रचलित मानदंडों के अनुसार परीक्षण- चक्र अनुप्रयोज्य पर मापा जाएगा, कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों के डीज़ल इंजनों के लिए यथा-अनुप्रयोज्य मानक होंगे। जीईआर वर्गीकरण एमओआरटीएच /सीएमवीआर/टीएपी -115/116 (समय समय पर यथा-संशोधित) और प्रयोज्य कानून के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगा।

(5) नियम 115 क में नियत कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए परीक्षण दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन या यान के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।

(6) रिट्रो फिटमेंट हेतु सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दोहरे ईंधन किट का टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र, टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगा।

3. नियम 115 ख के उक्त नियमों में,-

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा :-

"संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस (बायो-सीएनजी) तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) द्वारा चालित वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक";

(ii) उप-नियम (1) में,

(क) पैरा ख के बाद, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"ख क. ओ.ई. या परिवर्तित, दोहरे ईंधन या विशेष रूप से बनाए गए दोहरे ईंधन (वाहन जीवीडब्ल्यू 3.5 टन से ऊपर के लिए), संपीडित प्राकृतिक गैस के साथ डीजल या जैव – संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस वाहनों के लिए - (I) वाहन 3.5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित ड्राइव-अवे चेसिस सहित ओ.ई. सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दोहरे ईंधन या विशेष्ज्ञ रूप से निर्मित दोहरे ईंधन वाहनों के लिए, -

(क) नये डीजल वाहनों पर वाहन विनिर्माता द्वारा सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी फिटमेंट के मामले में, वाहन विनिर्माता द्वारा विनिर्मित प्रत्येक मॉडल, इसके उपयोग के स्थान के संबंधमेंनये वाहनों की श्रेणी के लिए यथा अनुप्रयोज्य प्रचलित द्रव्यमान उत्सर्जन मानक के अनुसार टाइप अनुमोदित होगा और दोहरेईंधन इंजन के लिए परीक्षण अनुप्रयोज्यता अपेक्षाएं प्रचलित मानकों के अनुसार अनुप्रयोज्य परीक्षण-चक्र पर मापा गया गैस ऊर्जा अनुपात (जीईआर) पर निर्भर करेगा और जीईआर वर्गीकरण एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी – 115/116 (समय समय पर यथा-संशोधित) और प्रयोज्य कानून के अंतर्गत समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगा:

परंतु यह तब जबकि विशेष इंजन क्षमता के लिए अनुमोदित ओई सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन वाहन को यथा-अनुप्रयोज्य इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन में आधार मॉडल और इसके प्रकार में संस्थापित किया जा सकता है;

(ख) इन नियमों के अंतर्गत कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए परीक्षण दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन या वाहन के लिए अनुप्रयोज्य होंगे;

(ग) प्रचलित सीओपी प्रक्रिया भी प्रयोज्य होगी;

(घ) दुहरे ईंधन मोड के लिए भी डीज़ल मोड हेतु नियम 115 में नियत प्रचलित द्रव्यमान उत्सर्जन और ओ बी डी मानदंड अनुप्रयोज्य होंगे;

(ङ) सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों के लिए दव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी को माप आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, डीज़ल इंजनों के लिए यथा-अनुप्रयोज्य मानक होंगे।

(।।) 3.5 टन से ऊपर के जीवीडब्ल्यू वाले सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन या विशेष रूप से निर्मित दोहरे ईंधन वाहनों हेतु, प्रयोगरत डीज़ल वाहनों के इंजनों का उपांतरण करके रूपांतरण. - (क) प्रयोगरत डीज़ल वाहनों के इंजनों में संशोधन करके सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी ईंधन परिवर्तन के लिए टाइप अनुमोदन वाहन के विशिष्ट मेक एवं मॉडल हेतु प्रदान किया जाएगा तथा ऐसे डीजल वाहनों के विनिर्माण के तत्स्थानी वर्ष में डीज़ल वाहनों के लिए प्रयोज्य टाइप अनुमोदन मानदंडों को पूरा किया जाएगा;

(ख) विशिष्ट इंजन क्षमता के लिए वाहन के संबंध में अनुमोदित सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दोहरी ईंधन किट को उसी क्षमता के इंजन के साथ फिट किए गए आधार मॉडल और उसके परिवर्त पर संस्थापित किया जा सकता है;

(ग) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण अभिकरण को टाइप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए यान द्वारा इन नियमों के अधीन यथा-अनुप्रयोज्य फिटनेस अपेक्षा का अनुपालन किया जाना होगा;

(घ) नियम 115 के अधीन कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए प्रचलित और अनुप्रयोज्य परीक्षण दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन या वाहन के लिए अनुप्रयोज्य होंगे;

(ड.) दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी परिचालन के लिए उपांतरित किए गए यांत्रिक रूप से नियंत्रित और इलैक्ट्रोनिकी रूप से नियंत्रित डीज़ल ईंधन अंत:क्षेपित यान के लिए पृथक टाइप अनुमोदन अपेक्षित है;

(च) सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों या यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी को माप आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, डीज़ल इंजनों या यानों के लिए यथा-अनुप्रयोज्य मानक होंगे।

स्पष्टीकरण- उपांतरण करके 'ओई या प्रयोगरत' यान के परिवर्तन के मामले में- (क) ओ.ई के रूप में दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन (डीज़ल इंजन से परिवर्तित) से युक्त यान, या 'प्रयोगरत' डीज़ल यान का संशोधन करके

परिवर्तन के लिए टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ परीक्षण अभिकरणों द्वारा नीचे दी गई निम्नलिखित सारणी के अनुसार निष्पादन परीक्षण किए जाएंगे, अर्थात;-

तालिका

क्र. सं.	परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
(1)	(2)	(3)
1.	i. दोहरे ईंधन सीएनजी/बायो-सीएनजी/एलएनजी यान के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण डीजल यान के लिए यथा-प्रयोज्य प्रचलित मानदंडों के अनुसार होंगे	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी – 115 / 116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं।
2.	इंजन निष्पादन परीक्षण	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी – 115 / 116 या आईएस : 14599-1999 (यथा-प्रयोज्य) और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं।
3.	ग्रेडियेबिलिटी परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार
4.	ईंधन खपत परीक्षण	13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना का. आ. 1365 (अ) का क्रम संख्या 31
5.	वैद्युत चुंबकीय अनुकूलता (ईएमसी)/ ई एम आई परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार
6.	केवल दुहरी ईंधन प्रणाली वाली बसों पर कम से कम 250 किमी का रेंज परीक्षण	एआईएस : 55
7.	शीतलन परीक्षण	आईएस : 14557: 1998

टिप्पण: द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण यथा रूप से लागू या तो इंजन डायनेमोमीटर या चेसिस डाइनेमोमीटर पर किया जाएगा;

(ख) दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी यानों के लिए परीक्षण प्रकिया और सुरक्षा दिशानिर्देश और संव्यवहार संहिता, उसकी संस्थापना सहित किट घटक, संगत बीआईएस विनिर्देशन के अधिसूचित होने तक, समय समय पर यथा-संशोधित एआईएस – 024 और एआईएस – 028 के अनुसार होगा;

(ग) 'प्रयोगरत' यानों पर ओ.ई. फिटमेंट और रिट्रो फिटमेंट अथवा परिवर्द्धन के लिए प्रकार अनुमोदन का उत्तरदायित्व यान विनिर्माता और किट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता की होगी; प्रयोगरत;

(घ) रिट्रो फिटमेंट के लिए सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी का दुहरे इंजन किट प्रकार अनुमोदन उसके निर्गम की तिथि से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगा;

(ङ) प्रयोगरत यानों में सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन किट का रिट्रो फिटमेंट किट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता या यान विनिर्माता, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत कार्यशालाओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा;

खख. एलएनजी चालित यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (I) मूल उपस्कर या रूपांतरित गैसोलिन यान.-

(क) नये गैसोलिन यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा किए गए एलएनजी फिटमेंट के मामले मे, नियम 115ख के उप-नियम (1) के पैरा क के पैरा I के अधीन मूल उपकरण सीएनजी यानों पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं 3.5 टन या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले मूल उपकरण विनिर्मित यान पर प्रयोज्य होंगे;

(ख) प्रयोगरत एलएनजी किट युक्त गैसोलिन यानों में सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं नियम 115ख के उप नियम (1) के पैरा (क) के पैरा II के अधीन संपरिवर्तित सीएनजी यानों पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं 3.5 टन या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले प्रयोगरत गैसोलिन यानों से संपरिवर्तित एलएनजी यानों पर प्रयोज्य होंगे, जब ईंधन के रूप् में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है।

(II) प्रयोगरत डीजन यानों के इंजनों में परिवर्द्धन द्वारा एलएनजी उपांतरण के लिए,- नियम 115ख के उप नियम (1) के पैरा (ख) के पैरा II के अधीन संपरिवर्तित उपकरण सीएनजी यानों पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं 3.5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले प्रयोगरत संपरिवर्तित एलएनजी यानों पर प्रयोज्य होंगे, जब ईंधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है।

(III) प्रयोगरत डीजल इंजन का नये अनन्य एलएनजी इंजन से प्रतिस्थापन

नियम 115ख के उप नियम (1) के पैरा (ग) के अधीन नये अनन्य सीएनजी इंजन द्वारा प्रयोगरत डीजल इंजन के प्रतिस्थापन पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं ऐसे यानों पर प्रयोज्य होंगे, जिनमें प्रयोगरत डीजल इंजन का नये अनन्य एलएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन होता, जब द्रवीकृत प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में उपयोग होता है।";

(ख) पैरा ग के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"**गक. प्रयोगरत डीजल इंजन का नये दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी इंजन से प्रतिस्थापन –** नये दुहरे ईंधन सीएनजी/बायो सीएनजी/एलएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापित प्रयोगरत डीजल इंजन के प्रकार अनुमोदन के लिए, इसे नीचे की सारणी में उल्लिखित परीक्षणों के अध्यधीन इसके उपयोग के स्थान के लिए यानों की श्रेणी पर यथा-प्रयोज्य प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना होगा।

सारणी

क्र. सं.	परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
(1)	(2)	(3)
1.	दोहरे ईंधन सीएनजी/बायो-सीएनजी/एलएनजी यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण डीजल यानों के लिए यथा प्रयोज्य प्रचलित मानदंडों के अनुसार होंगे	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी – 115 / 116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं।
2.	इंजन निष्पादन परीक्षण	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी – 115 / 116 या आईएस : 14599-1999 (यथा-प्रयोज्य) और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं।
3.	ग्रेडियेबिलिटी परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार
4.	ईंधन खपत परीक्षण	13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना का. आ. 1365 (अ) की क्रम संख्या 31
5.	वैद्युत चुंबकीय अनुकूलता (ईएमसी)/ ई एम आई परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार
6.	केवल दुहरी ईंधन प्रणाली वाली बसों पर कम से कम 250 किमी का रेंज परीक्षण	एआईएस : 55

स्पष्टीकरण : - (क) नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण अभिकरण को प्रकार अनुमोदन के लिए प्रस्तावित यानों को इन नियमों के अधीन यथा-प्रयोज्य फिटनेस अपेक्षा का अनुपालन करना होगा;

(ख) ऐसे दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी यानों, किट पुर्जों और उसके संस्थापन के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश और संव्यवहार संहिता, संगत बीआईएस विनिर्देशन के अधिसूचित होने तक, समय समय पर यथा-संशोधित एआईएस – 024 और एआईएस – 028 के अनुसार होगा;

(ग) परीक्षण अभिकरणों को उन मॉडलों और रूपांतरों को विशिष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक होगा, जिस पर नये इंजन को बदलना वैध होगा;

(घ) सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजन या यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक वही होंगे जो डीजल इंजन या यानों पर प्रयोज्य हैं सिवाय इस अपवाद के कि एचसी को एनएमएचसी (गैर मिथेन हाईड्रोकार्बन) द्वारा मापन आधार पर प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) दोहरे ईंधन इंजन के लिए परीक्षण अनुप्रयोज्यता अपेक्षाएं प्रचलित मानदंडों के अनुसार अनुप्रयोज्य परीक्षण चक्र पर मापा गया गैस ऊर्जा अनुपात (जीईआर) पर निर्भर करती हैं । जीईआर वर्गीकरण एमओआरटीएच /सीएमवीआर/टीएपी -115/116 (समय समय पर यथा-संशोधित) और इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगा।";

(ग) पैरा घ के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात :-

"**घ. प्रयोज्य उत्सर्जन मानदंड.** - प्रयोज्य उत्सर्जन मानदण्ड निम्लिखित सारणी के अनुसार होंगे, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	इंजन की श्रेणी	नियम 115 के प्रयोज्य उत्सर्जन मानदंड
(1)	(2)	(3)
1	3,500 किग्रा या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले ओ. ई. सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी श्रेणी एम तथा श्रेणी एन यान, तिपहिया और दोपहिया	प्रचलित और अनुप्रयोज्य गैसोलिन मानदंड
2	3,500 किग्रा या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी श्रेणी एम तथा श्रेणी एन यान, गैसोलिन यान से तिपहिया और दोपहिया	प्रचलित और अनुप्रयोज्य गैसोलिन मानदंड
3	3,500 किग्रा या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी (अनन्य / दोहरे ईंधन) श्रेणी एम तथा श्रेणी एन यान, डीजल यान से तिपहिया और दोपहिया रिट्रो फिटमेंट	प्रचलित और अनुप्रयोज्य डीजल मानदंड
4	1 अप्रैल 2010 तक विनिर्मित 3,500 किग्रा से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले श्रेणी एम तथा श्रेणी एन यान के लिए सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी इंजन (ओई/रिट्रोफिटेड; अनन्य / दुहरे ईंधन)	13 मोड स्थिर अवस्था इंजन डायनेमोमीटर परीक्षण या 13 मोड इंजन स्थिर अवस्था चक्र, यथा-प्रयोज्य, पर आधारित प्रचलित और अनुप्रयोज्य डीजल इंजन मानदंड
5	1 अप्रैल 2010 के बाद से विनिर्मित 3,500 किग्रा से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले श्रेणी एम तथा श्रेणी एन यान के लिए सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी इंजन (ओई/रिट्रोफिटेड; अनन्य / दुहरे ईंधन)	प्रचलित और अनुप्रयोज्य डीजल इंजन उत्सर्जन मानदंड";

(घ) पैरा च में, टिप्पण में, क्रम संख्या 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किये जाएंगे, अर्थात:-

"(8) **ओ. ई. डीजल और दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी यान** से वे यान अभिप्रेत हैं जो यान विनिर्माता द्वारा उनके प्रथम रजिस्ट्रीकरण के पूर्व डीजल और दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी परिचालन के लिए विनिर्मित हैं।

(9) **सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन यान या अनन्य एलएनजी यान मे संपरिवर्तित डीजल यान** से वे यान अभिप्रेत हैं जो डीजल यान के रूप में पहले से रजिस्ट्रीकृत कोई यान हैं और जिसमें सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी किट लगा कर और अन्य आवश्यक परिवर्तन कर सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरी ईंधन या अनन्य एलएनजी में संपरिवर्तित किया गया है।

(10) **दोहरे ईंधन इंजन प्रचालन** से अभिप्रेत है पूरे इंजन प्रचालन क्षेत्र में प्राथमिक दहन ईंधन के रूप में डीजल और संपूरक ईंधन के रूप्में सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी। ऐसे दोहरे ईंधन इंजन में गैसीय ईंधन की अनुपस्थिति में डीजल स्टैंड अलोन मोड पर प्रचालित हो सकता है।

(11) **अनन्य दोहरे ईंधन इंजन प्रचालन** से अभिप्रेत है प्राथमिक दहन ईंधन के रूप में डीजल और संपूरक ईंधन के रूप में सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी वाली दो ईंधन प्रणाली अैर ऐसे अनन्य दोहरे ईंधन इंजन के गैसीय ईंधन की अनुपस्थिति में डीजल स्टैंड अलोन मोड में प्रचालित नहीं हो सकेगा या केवल डीजल मोड में इंजन का प्रचालन लिंप होम मोड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 40 प्रतिशत के घटे हुए पावर आउटपुट से निर्बंधित होगा और ऐसे अनन्य दोहरे ईंधन इंजन में, द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण दोहरे ईंधन मोड में ही निष्पादित किया जाएगा।";

iii. उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात;-

"(4) मूल उपस्कर विनिर्मित एलएनजी अनन्य यान या जीवीडब्ल्यू ≥3.5 टी वाले प्रयोगरत डीज़ल वाहन से परिवर्तित एलएनजी वाहन या ओई या रिट्रोफिटिड एलएनजी दुहरे ईंधन यान या अपने किट घटकों सहित इंजन, ईंधन द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित एआइएस-024 और एआइइस-028 (आर ई वी 1) में यथा- अधिकथित सुरक्षा अपेक्षाओं और संव्यवहार संहिता को पूरा किया जाएगा।"।

[फा. सं. 11028/02/2017-एमबीएल]
प्रियांक भारती संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार तारीख 2 नवंबर 2018 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1081(अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2018.

G.S.R.1151(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 416(E), dated the 2ndMay , 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 2ndday of May, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come in to force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 115A,the following rule shall be inserted, namely: —

"115-AA. Emission of smoke and vapour from agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters driven by dualfuel diesel with Compressed Natural Gas or Bio-Compressed Natural Gas or Liquefied Natural Gas engines.- (1) In case of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters driven by Original Equipment (O.E) manufactured as dual fuel engine or converted in-use diesel engines to dual fuel engines by using diesel engines and any fuel out of Compressed Natural Gas (here in after referred to as CNG), Bio-Compressed Natural Gas (hereinafter referred to as Bio-CNG) or Liquefied Natural Gas (hereinafter referred to as LNG), prevailing mass emission norms for diesel mode shall also be applicable for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel mode for type approval and Conformity of Production (CoP).

(2) The CNG or Bio-CNG or LNG composition used for carrying out emission shall meet the fuel specifications as notified by the Central Government from time to time under applicable law:

Provided that till such time the commercial CNG or Bio-CNG shall be used for the purpose of type approval and conformity of production and in case of LNG, fuel complying with the requirements as provided in Annexure IV- LA shall be used for the purpose of type approval and conformity of production.

(3) The Original Equipment manufacturer or retrofitter shall meet the safety requirements and code of practice for vehicle or engine and its kit components as laid down in Annexure IX, AIS-024 and AIS- 028(Rev. 1), as amended from time to time.

(4) Mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters shall be same as the mass emission standards applicable for diesel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters with exception that the HC (Hydrocarbon) shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis as detailed in rule 115 A and the test applicability requirements for dual fuel engine shall bedepending on the Gas Energy Ratio (GER) measured over test-cycle applicable as per prevailing norms. GER classification shall be as per MoRTH/CMVR/TAP-

IndiaCode

115/116 (as amended from time to time) and notifications issued by the Central Government from time to time under the applicable law.

(5) Tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) stipulated in the rule 115A shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine or vehicle.

(6) The type approval certificate of CNG or Bio-CNG or LNG duel fuel kit for retro fitment shall be valid for three years from the date of the issue of type approval certificate and shall be renewable for three years at a time.".

3. In the said rules, in rule 115B,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Mass emission standards for Compressed Natural Gas (CNG) or Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) or Liquefied Natural Gas (LNG) Driven Vehicles";

(ii) in sub-rule (1),—

(a) after para B, the following paras shall be inserted, namely:—

"BA. O.E. or Converted, Duel Fuel or Dedicated Duel Fuel (for vehicles GVW above 3.5 T), Diesel with Compressed Natural Gas or Bio-Compressed Natural Gas or Liquefied Natural GasVehicles. — **(I)** For O.E.CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel or dedicated duel fuel vehicles having GVW above 3.5 T including drive away chassis manufactured by vehicle manufacturer, -

(a) in case of CNG or Bio-CNG or LNG fitments by vehicle manufacturers on new diesel vehicles, each model manufactured by vehicle manufacturers shall be type approved as per the prevailing mass emission norms as applicable for the category of new vehicles in respect of the place of its use and the test applicability requirements for dual fuel engine shall be depending on the Gas Energy Ratio (GER) measured over test-cycle applicable as per prevailing norms and the GER classification shall be as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116 (as amended from time to time) and notifications issued by the Central Government from time to time under the applicable law :

Provided that the O.E. CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engine approved for specific engine capacity may be installed on the base model and its variant complying with the requirements under these rules as applicable;

(b) tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) under these rules shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine or vehicle;

(c) prevailing COP procedure shall also be applicable;

(d) prevailing mass emission and OBD norms stipulated in rule 115 for diesel mode shall also be applicable for dual fuel mode.

(e) mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engines or vehicles shall be same as are applicable for diesel engines or vehicles with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.

(II) For CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel or dedicated duel fuel vehicles having GVW above 3.5 T, conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles. —(a) Type approval for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles shall be given for specific make and model of vehicle and shall meet applicable type approval norms of diesel vehicles corresponding to the year of manufacture of such diesel vehicle(s);

(b) CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel kit approved on the vehicle for specific engine capacity can be installed on the base model and its variant fitted with the same capacity engine;

(c) vehicles offered for type approval to the testing agency referred to in rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall have to comply with the fitness requirement, as applicable under these rules;

(d) prevailing and applicable tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) provided under rule 115 shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine or vehicle;

(e) separate type approval is required for mechanically controlled and electronically controlled diesel fuel injected vehicles when modified for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG operation;

(f) mass emission standards for CNG or Bio CNG or LNG dual fuel engines or vehicles shall be same as are applicable for diesel engines/vehicles with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.

Explanation.—In the case of OE or conversion of "In-Use" vehicles by modification. — (a) for the purpose of granting type approval to the vehicle fitted with dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine (converted from diesel engine) as O.E., or conversion by modification of "In-use" diesel vehicles, performance tests shall be carried as per Table given below by the test agencies, namely:—

TABLE

Sl. No.	Test	Reference Document
(1)	(2)	(3)
1.	Mass emission testsfor duel fuel CNG/Bio-CNG/LNG vehicles shall be as per	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by Government of India in this respect

	prevailing norms, as applicable for diesel vehicles	
2.	Engine performance test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 or IS:14599-1999(as applicable) and notifications issued by the Central Government in this respect
3.	Gradeability test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989
4.	Fuel consumption test	SL No 31 of Notification No S.O. 1365 (E) dated 13th December, 2004
5.	Electromagnetic Compatibility(EMC)/EMI test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989
6.	Range test of at least 250 kilometers for buses on dual fuel mode only	AIS:55
7.	Cooling performance	IS: 14557:1998

Note:—Mass emission tests shall be carried out either on engine dynamometer or chassis dynamometer, as applicable;

(b) test procedure and safety guidelines and code of practice for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit components including installation thereof, shall be as per AIS-024 and AIS-028(Rev.1), as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified;

(c) for O.E. fitment and retro fitment or modification on "In-Use" vehicles the responsibility of type approval shall be that of vehicle manufacturer and kit manufacturer or supplier respectively;

(d) the type approval certificate of CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel kit for retro fitment shall be valid for three years from date of issue and shall be renewable for three years at a time;

(e) the retro fitment of duly type approved CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel kits on in-use vehicles shall be carried out by workshops authorized by the kit manufacturer or supplier or vehicle manufacturers, as the case may be.

BB. Mass emission standards for LNG driven vehicles. - (I) Original Equipment or Converted Gasoline Vehicles,—

(a) In case of LNG fitments by vehicle manufacturers on new gasoline vehicles, the mass emission standards, safety and other specified requirements applicable to Original Equipment CNG Vehicles under paragraph I of para A of sub-rule (1) of rule 115B shall be applicable to Original Equipment manufactured vehicle having GVW less than or equal to 3.5 T.

(b) the in-use gasoline vehicles fitted with LNG kits, the mass emission standards, safety and other specified requirements applicable to converted CNG Vehicles under paragraph II of para A of sub-rule (1) of rule 115B shall be applicable to converted LNG vehicle from in use gasoline vehicle having GVW less than or equal to 3.5 T, when Liquefied Natural Gas is used as fuel.

(II) For LNG conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles, - The mass emission standards, safety and other specified requirements applicable to converted CNG Vehicles under paragraph II of para B of sub-rule (1) of rule 115B shall be applicable to converted LNG vehicle from in use diesel vehicle having GVW more than 3.5 T, when Liquefied Natural Gas is used as fuel.

(III) Replacement of In-use Diesel Engine by New dedicated LNG Engine, —

The mass emission standards, safety and other specified requirements applicable to replacement of In-use Diesel Engine by New dedicated CNG Engine under para C of sub-rule (1) of rule 115B shall be applicable to vehicles, wherein replacement of In-use Diesel Engine by New dedicated LNG Engine, when Liquefied Natural Gas is used as fuel.**";**

(b) after para C, the following para shall be inserted, namely: —

"**CA. Replacement of In-use Diesel Engine by New dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG Engine,** - For type approval of in-use vehicle having diesel engine replaced by new dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG Engine, it shall meet prevailing emission norms as applicable to the Category of vehicles in respect of its place of use subject to tests mentioned in the Table given below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Test	Reference Document
(1)	(2)	(3)
1.	Mass emission tests Mass emission tests for duel fuel CNG/Bio-CNG/LNG vehicles shall be as per prevailing norms, as applicable for diesel vehicles	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by Government of India in this respect
2.	Engine performance test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 or IS:14599-1999 (as applicable) and notifications issued by the Central Government in this respect
3.	Gradeability test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules,1989
4.	Fuel consumption test	SL No 31 of Notification No S.O. 1365 (E) dated 13th December, 2004
5.	Electromagnetic Compatibility (EMC)/EMI test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules,1989
6.	Range test of at least 250 kilometers for buses on dual fuel mode only	AIS:55

Explanation. — (a) Vehicles offered for type approval to the testing agency referred in rule 126 shall have to comply with fitness requirement, as applicable under these rules;

(b) test procedure and safety guidelines and code of practice for such dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit components including installation thereof shall be as per AIS-024 and AIS-028, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified;

(c) testing agencies will be required to indicate specifically, the models and variants on which the replacement of new engine shall be valid;

(d) mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engines or vehicles shall be same as are applicable for diesel engines or vehicles with exception that the HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.

(e) the test applicability requirements for dual fuel engine is depending on the Gas Energy Ratio (GER) measured over test-cycle applicable as per prevailing norms. GER classification shall be as per

MoRTH/CMVR/TAP-115/116 (as amended from time to time) and notifications issued by the Central Government in this respect.";

(c) for para D, the following para shall be substituted, namely: -

"D. Applicable Emission Norms. — The applicable emission norms shall be as per the following table, namely:—

Table

Sl. No.	Category of Engines	Applicable Emission Norms from Rule 115
(1)	(2)	(3)
1.	O.E. CNG or Bio-CNG or LNG Category M and Category N vehicles with GVW equal to or less than 3,500 kg, three wheelers and two wheelers	Prevailing and applicable gasoline norms
2.	CNG or Bio-CNG or LNG Category M and category N vehicles with GVW equal to or less than 3,500 kg, three and two wheelers retro fitment from gasoline vehicles	Prevailing and applicable gasoline norms
3.	CNG or Bio-CNG or LNG(dedicated / dual fuel) category M and Category N vehicles with GVW equal to or less than 3,500 kg, three and two wheelers retro fitment from diesel vehicles	Prevailing and applicable diesel norms
4.	CNG or Bio-CNG or LNG(OE/retrofitted ;dedicated/ dual fuel) engines Category M and Category N vehicles with GVW greater than 3,500 kg manufactured up to 1st April 2010	Prevailing and applicable diesel engine norms based on 13-mode steady-state engine dynamometer test or 13- mode Engine Steady State Cycle as applicable
5.	CNG or Bio-CNG or LNG engines (OE/retrofitted ;dedicated/ dual fuel) for Category M and Category N vehicles with GVW greater than 3,500 kg manufactured on the from 1st April 2010	Prevailing and applicable diesel engine emission norms."; IndiaCode

(d) in para F, in the Note, after serial number 7, the following shall be inserted, namely: —

"(8) **O.E. Diesel and DualFuel CNG or Bio-CNG or LNG Vehicle** means vehicles which are manufactured for diesel and dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG operation by vehicle manufacturer prior to their first registration.

(9) **Converted diesel vehicle to CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel vehicle or dedicated LNG Vehicle** means a vehicle already registered as diesel vehicle and is subsequently converted for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel or dedicated LNG by adding the CNG or Bio-CNG or LNG kit and other necessary changes.

(10) **Dual fuel engine operation** shall mean a two – fuel system having diesel as a primary combustion fuel and CNG or Bio CNG or LNG as supplementary fuel. Such dual fuel engine may operate on diesel stand-alone mode in absence of gaseous fuel.

(11) **Dedicated Dual fuel engineoperation** shall mean a two – fuel system having diesel as a primary combustion fuel and CNG or Bio CNG or LNG as supplementary fuel and such dedicated dual fuel engine shall not operate on diesel stand-alone mode in absence of gaseous fuel oroperation of the engine in diesel mode only shall be restricted by reduced power output to 40 percent to cater limp home mode and in such dedicated dual fuel engine, mass emission test will be carried out in dual fuel mode only.**";**

iii. for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely; —
"(4) The Original Equipment manufactured LNG dedicated vehicle or Converted LNG vehicle from in-use diesel vehicle having GVW ≥3.5 T or O.E. or retrofitted LNG duel fuel vehicle or

engine including its kit components shall meet the safety requirements and code of practice as laid down in AIS-024 and AIS- 028(Rev. 1), as amended from time to time.".

[F. No. 11028/02/2017 -MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R1081(E) Dated 02.11.2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.12.03 12:06:04 +05'30'